पत्र संख्या– 15/डी० एल० ए०–नालंदा (पथ) –02/2013

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन शाखा)
अधिघोषणा

संख्या डी० एल० ए० नालन्दा – 1592/रा०, पटना, दिनांक -20-06-13

चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि गाँव–दशरथपुर परगना–बिहार, थाना नं०–335 थाना–बिहार, जिला नालन्दा में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात दशरथपुर–पावापुरी रोड में निर्मित सड़क के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त गाँव–दशरथपुर, थाना नं०–335 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कमोवेश **1.475** एकड़ होता है, जिसका सर्वे खेसरा संख्या निम्नांकित है:– खेसरा सं०– 900 एवं 928 अंश।

जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है :–

उत्तर:–खण्ड "क" खेसरा सं0 932 एवं 933 पूर्ण तथा खण्ड "ख" खेसरा सं0 871 पूर्ण

पूरब :–खण्ड "क" खेसरा सं0 928 अंश एवं 918 पूर्ण तथा खण्ड "ख" खेसरा सं0 900 अंश एवं 898, 999 पूर्ण

दक्षिण :–खण्ड "क" खेसरा सं0 914 पूर्ण तथा खण्ड "ख" खेसरा सं0 864 पूर्ण

पश्चिम :– खण्ड "क" खेसरा सं0 928 अंश तथा खण्ड "ख" खेसरा सं0 900 अंश

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा–पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों को खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है, उसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो, तो लिये जायेगें।

यह घोषणा अधिनियम 1, 1864 की धारा 6 और अधिनियम 18, 1885 की धारा–3 के खण्ड (1) के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्शा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी के कार्यालय नालन्दा, बिहारशरीफ में देखा जा सकेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी, नालन्दा	अपर समाहर्त्ता, नालन्दा	समाहर्त्ता, नालन्दा	सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक 1592/रा०डी० एल०ए०– नालन्दा, दिनांक -20-06-13/

प्रतिलिपि :– निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना के दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन एवं प्रकाशित संस्करण का जिला भूमि अर्जन कार्यालय, नालन्दा, बिहारशरीफ एवं इस विभाग को प्रेषित करने हेतु।

2. **प्रतिलिपि** :– उप समाहर्त्ता प्रभारी, सामान्य शाखा, नालन्दा, बिहारशरीफ को जिला गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट को जिला भूमि अर्जन कार्यालय, नालन्दा को दस प्रतियों में एवं इस विभाग को दस अतिरिक्त प्रतियाँ भेजने के लिये।

3. **प्रतिलिपि** :– अपर समाहर्त्ता/समाहर्त्ता, नालन्दा, बिहारशरीफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव